क्रम संख्या–98 (ख)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 11 सितम्बर, 2025 ई0

भाद्रपद 20, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग–2

ई फाइल संख्या–E-75892

देहरादून, 11 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प0 आ0–66

आवास विभाग के नियंत्रणाधीन सभी प्राधिकरण में ईज एप (eASE App) के माध्यम से विकसित की गई सेवाओं के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश संख्याः I/55467/2022 दिनांकः 08.08.2022 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्राधिकरणों द्वारा आमजन को उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सेवाओं को तीव्रता के साथ सम्प्रेषित किये जाने तथा राज्य सरकार के e-Governance के कार्यों हेतु निर्धारित "Paperless, Faceless, Cashless" के उद्देश्य से उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा eASE App विकसित किया गया है। राज्य सरकार के e-Governance के कार्यों हेतु निर्धारित "Paperless, Faceless, Cashless" प्रक्रिया को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. eASE App के माध्यम से विकसित समस्त सेवाओं का अनिवार्य रुप से कियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्राधिकरण के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां भी किसी भी दशा में Offline अंकित नहीं की जायेंगी।
3. आवास विभाग के अन्तर्गत समस्त विभागों/प्राधिकरणों में पेपरलेस कार्य–प्रणाली को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा कोई भी अभिलेख/आवेदन Offline माध्यम से जमा नहीं किये जायेंगे।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

आज्ञा से,
आर.मीनाक्षी सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17/आ0श0वि0/432–2025–100+100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।